

Dated the 13 January, 2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961, namely: -

2. In the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely: -

“9. Submission of Periodical Returns to the Cabinet. - Each department shall submit to the Cabinet periodical returns as the Cabinet or the Prime Minister may from time to time require.”

3. In the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961, in THE FOURTH SCHEDULE, for serial number (3) and the entry relating thereto, the following serial number and the entry shall be substituted, namely: -

“(3) Such periodical returns as are required to be submitted by departments to the Cabinet.”

Droupadi Murmu

President

[F. No. 1/20/1/2024-Cab]

दिनांक 13 जनवरी, 2025

आदेश

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

2. भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

“9. मंत्रिमंडल को कालिक विवरणियां प्रस्तुत किया जाना - प्रत्येक विभाग, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित, कालिक विवरणियां मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेगा।”

3. भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 में, चौथी अनुसूची में, क्रम सं. (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

“(3) ऐसी कालिक विवरणियां जिनका विभागों द्वारा मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं।”

द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/20/1/2024-मंत्रि.]